(2022) 8 एस.सी.आर. 121

पप्पू तिवारी

बनाम

झारखण्ड राज्य

(दाण्डिक अपील सं0 1492 वर्ष 2021)

जनवरी 31, 2022

(संजय किशन कौल तथा एम0एम0 सुन्दरेश, न्यायमूर्तिगण)

दण्ड संहिता, 1860 : धारा 302/34 - आयुध अधिनियम 1959- धारा 27 - हत्या- पाँच लोगो ने सामूहिक रूप से मृतक को गोली मारने के बाद चाकू से क्षतियाँ पहुचाई थी- अभियुक्त पी ने मृतक पर गोली चलाई थी तथा अन्य लोगो ने चाकू से प्रहार किया था- धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्धि तथा दण्डादेश तथा पी को इसके अतिरिक्त आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन आरोपित किया गया- उसके सिवाय जो अवयस्क था, उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट - दो अभियुक्तगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील में, अभिनिर्धारित: जहाँ तक अभियुक्त एल का संबंध है, सभी पहलूओ पर, अभियुक्त अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् को साबित करने के भार का निर्वहन करने में असफल था- यह ऐसा मामला नही है जहाँ इसे अवसर नही दिया गया था- इस प्रकार अवर न्यायालयों ने अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् को नामंजूर करने में त्रुटि किया तथा इसके अपील में कोई गुणावगुण नही है - जहाँ तक, अभियुक्त पी का संबंध है, साक्ष्य के परिशीलन के बाद यह नही कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के परिसाक्ष्य में कोई बड़ा फर्क है जिससे अभियोजन मामले पर संदेह किया जा सके - निवेदन कि प्र0सू0रि0 समय पूर्व है, समय के अनुक्रम के रूप में स्वीकार नही किया जा सकता है तथा बताई गई तिथियाँ प्र0सू0रि0 के पूर्व दिनांकन की गुंजाइश नही छोड़ती है इसके अलावा, यह नही कहा जा सकता है कि धारा 157 द0प्र0सं0 के अधीन विधि के आदेश को पूरा नही किया गया था- घटना के सूचना के बाद, फर्द बयान शीघ्रता से लेखबद्ध किया गया था, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया गया था तथा प्र0सू0रि0 इसके 25 मिनट के अन्दर पंजीकृत किया गया था शव को तत्काल मृत्योपरान्त परीक्षण हेतु भेजा गया था तथा अगले सुबह प्र0सू0रि0 न्यायालय भेजा गया था - यह नही कहा जा सकता है कि कोई बचाव का रास्ता था - थोड़ा संदेह है कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तथा मृत्योपरांत परीक्षण रिपोर्ट में मृतक को पहुूँचे क्षतियो की संख्या को लेखबद्ध करने मे छोटा नही बल्कि बड़ा फर्क है, फिर भी, यह घातक नही होगा - मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट मौलिक साक्ष्य नही है तथा उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि क्या व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों मे मरा था जो इसकी मृत्यु का स्पष्ट कारण हो सकता है- मृत्यु अप्राकृतिक थी, यह मानवघाती मामला था- घाव थे - पहचाने गये अन्दर में तथा बाहर में घावों के साथ दो आग्नेयास्त्र क्षतियों की पहचान स्पष्ट रूप से की गई है - सूचना तथा उस प्रक्रम से जब मृत्योपरान्त परीक्षण आरम्भ हुआ था पुलिस कार्यवाही के बीच समयावधि का सामीप्य देखा जाता है - चिकित्सा तथा चाक्षुष साक्ष्य के बीच कोई फर्क नहीं है - ऐसा कोई कारण नही है कि क्यो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कहानी, जो विश्वसनीय है को पूरा विश्वास नही देना चाहिए- अभियोजन मामला साबित तथा संदेह करने एवं इन्हें संदेह के लाभ का हकदार बनाने के लिए अभियुक्त द्वारा प्रतिकूल प्रभाव नही डाला गया था।

विजयपाल बनाम राज्य (दिल्ली सरकार रा0रा0क्षे0) (2015) 4 एससीसी 749 : (2015) 3 एससीआर 394; जितेन्द्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2012) 6 एससीसी 204, (2012) 4 एससीआर 408; सुदर्शन एवं एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) 12

एससीसी 312; (2014) 6 एससीआर 437; मौला बक्श तथा अन्य बनाम राजस्थान राज्य (1983) 1 एससीसी 379; सुरेश राय बनाम बिहार राज्य (2000) 4 एससीसी 84 : (2000) 2 एससीआर 796; सुर्जन तथा अन्य बनाम राजस्थान राज्य एआईआर 1956 एससी 225; पेद्दा नारायण तथा अन्य बनाम आन्ध प्रदेश राज्य (1975) 4 एससीसी 153: (1975) अनुपूरक एससीआर 84; योगेश सिंह बनाम महावीर सिंह तथा अन्य (2017) 11 एससीसी 195 : (2016) 7 एससीआर 713 : तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ (2018) 6 एससीसी 72 : (2018) 9 एससीआर 1, प्रहलाद सिंह तथा अन्य बनाम म0 प्र0 राज्य (2011) 15 एससीसी 136 : (2011) 9 एससीआर 282- निर्दिष्ट

निर्णयज विधि संदर्भ

(2015) 3 एससीआर 394	निर्दिष्ट	पैरा 16
(2012) 4 एससीआर 408	निर्दिष्ट	पैरा 16
(2014) 6 एससीआर 437	निर्दिष्ट	पैरा 27
(1983) 1 एससीआर 379	निर्दिष्ट	पैरा 29
(2000) 2 एससीआर 796	निर्दिष्ट	पैरा 29
एआईआर 1956 एससी 425	निर्दिष्ट	पैरा 29
(1975) अनुपूरक एससीआर 84	निर्दिष्ट	पैरा 29
(2016) 7 एससीआर 713	निर्दिष्ट	पैरा 30
(2018) 9 एससीआर 1	निर्दिष्ट	पैरा 31
(2011) 9 एससीआर 282	निर्दिष्ट	पैरा 34

दाण्डिक अपीलीय अधिकारिता: दाण्डिक अपील सं0 1492 वर्ष 2021

दाण्डिक अपील सं0 398 वर्ष 2002 में राची उच्च न्यायालय के निर्णय तथा आदेश दिनांक 07.05.2012 से

साथ मे

दाण्डिक अपील सं0 1202-1203 वर्ष 2014

श्री प्रकाश सिन्हा, राकेश मिश्रा, सुश्री मोहुआ सिन्हा, नवलेन्द्र कुमार, सिद्धार्थ सिंह, शेखर कुमार अपीलार्थी के अधिवक्तागण

तपेश कुमार सिंह, महा0अधि0 आदित्य प्रताप सिंह,

आदित्य नारायण दास, प्रत्यर्थी के अधिवक्तागण

शेषाद्रि शेखर रे (न्याय मित्र)

न्यायाल का निर्णय **संजय किशन कौल न्यायमूर्ति** द्वारा

सुनाया गया।

पृष्ठभूमि:

1. 07.03.2000 को लगभग 10 बजे अपराह्न विकास कुमार सिंह, उम्र लगभग 22 वर्ष शारीरिक व्यायाम करने हेतु अपने घर से भण्डार की ओर जा रहा था। अभियोजन का मामला यह है कि अपने छोटे भाई, पंकज कुमार सिंह के फर्दबयान के आधार पर जिसे सदर हास्पिटल, गढ़वा में 2.00 बजे अपराह्न, जब विकास कुमार सिंह, रामाधर राम के घर के सामने पहुँचा था

यकायक छहः व्यक्तियो अर्थात् पप्पू तिवारी (दा0 अ0 स0 1492/2021 मे अपीलार्थी) संजय राम, उदय पाल, अजय पाल, पिन्टु तिवारी, तथ लव तिवारी (दा0अ0सं0 1202 -1203/2014 में अपीलार्थी) जो सड़क पर बैठे थे इसे चारो ओर से घेरा था। पप्पू तिवारी ने विकास कुमार सिंह पर अपने पिस्तौल से गोली चलाया था जिसके परिणाम स्वरूप वह क्षतिग्रस्त हो गया था तथा सड़क के बगल में गिर पड़ा था। अन्य अभियुक्तगण चाकू लिये हुए अभिकथित हैं तथा इन लोगो ने इस पीटा था तथा इसके सम्पूर्ण शरीर पर चाकू से प्रहार किया था होहल्ला सुनने पर पंकज कुमार सिंह उसी दिशा में गया था। उक्त इत्तिला देने वाले तथा अन्य ग्रामीणो को आते देखकर अभियुक्तगण अहर पर बने रास्ते की ओर भाग गये थे। इन लोगों द्वारा मामले में किसी साक्ष्य को देने के विरूद्व उपस्थित व्यक्तियों को धमकी भी दिया गया बताया गया है। बाद में, इत्तिला देने वाले के अनुसार इसने यह जानकारी प्राप्त किये जाने का दावा किया है कि ये लोग मारूती वैन पंजीकरण सं0 डीएल-2सी-5177 से भाग गये थे, जो पिन्टू तिवारी की थी। फर्द बयान के आधार पर, छः नामित अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्व प्र0सू0रि0 गढ़वा पुलिस थाना मामला स0 33 वर्ष 2000 भारतीय दण्ड संहिता 1860 (एतस्मिन्पश्चात् भा0द0सं0 के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 302 तथा 34 तथा आयुध अधिनियम 1959 (एतस्मिन्पश्चात् आयुध अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 27 के अधीन पंजीकृत किया गया था।

2. सहायक उप निरीक्षक (संक्षेप में ए0एस0आई0) रजनी कान्त झा ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया था लेकिन आग्नेयशास्त्र क्षति की पहचान करने में असफल था। मृत्योपरान्त परीक्षण डा0 महेश प्रताप सिंह, चिकित्साधिकारी, उप खण्ड हास्पिटल, गढ़वा द्वारा किया गया था तथा मृत्यु का कारण महत्वपूर्ण तथा कई क्षतियो द्वारा कारित सदमा तथा रक्तस्राव के कारण बताया गया था। क्षतियाँ एक तथा दो की पहचान आग्नेयास्त्र क्षतियों के रूप में की गई थी। 09.03.2000 को मारूतिवैन को तत्पश्चात बरामद किया गया था। सभी अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया था, हालाकि लव उर्फ उपेन्द्र तिवारी को 16.03.2000 को गिरफ्तार किया गया था। अन्वेषण पूरा होने के बाद, भा0 द0 सं0 की धारा 302 तथा 34 एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन सभी छः व्यक्तियो के विरूद्व 02.06.2000 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा उपर्युक्त तिथि को अपराध का संज्ञान लिया गया था। मामले को सेशन जज के न्यायालय को 26.07.2000 को सुपुर्द किया गया था जहाँ सभी छः अभियुक्तगण को भा0द0सं0 की धारा 302 सपठित धारा 34 के अधीन आरोपित किया गया था तथा पप्पू तिवारी को इसके अतिरिक्त आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन आरोपित किया गया था।

3. सत्र विचारण सं0 159/2001 के अनुक्रम में, अभियोजन ने 22 साक्षीगण को परीक्षित किया था तथा प्रतिरक्षा ने दो साक्षीगण को परीक्षित किया था। निर्णय दिनांक 27.05.2002 के अनुसार, सभी अभियुक्तगण को दोष सिद्ध किया गया था जैसा आरोपित था तथा आदेश दिनांक 28.05.2002 के अनुसार इन्हे आजीवन कारावास की सजा भुगतने के लिए दण्डादिष्ट किया गया था । पप्पू तिवारी को इसके अतिरिक्त आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा भुगतने के लिए दण्डादिष्ट किया गया था।

4. विचारण न्यायालय के निर्णय को चुनौती दो पृथक अपीलो द्वारा दिया गया था। लव तिवारी तथा पिन्टू तिवारी ने संयुक्त रूप से दाण्डिक अपील संख्या 242/2002 दाखिल किया था जबकि बाकी चार दोषसिद्ध व्यक्तियों ने दाण्डिक अपील सं0 398/2002 दाखिल किया था। झारखण्ड उच्च न्यायालय ने एक ही निर्णय दिनांक 07.05.2012 द्वारा सभी छः दोषसिद्ध के विरूद्व विचारण न्यायालय के दोषसिद्धि के निर्णय की पुष्टि किया था। फिर भी, किशोरावस्था के पहलू पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये जांच के अनुसरण मे, उच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया था कि चँकि पिन्टू तिवारी घटना के तिथि को अप्राप्तवय था तथा पहले ही तीन वर्ष से अधिक समय तक कारागार में था, किशोर न्याय (बालको के देख-रेख तथा

सरंक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 15 तथा 16 के प्रावधानों के दृष्टिगत आगे निरोध का आदेश पारित नही किया जा सकता है। जहाँ तक संजय राम तथा उदय पाल का संबंध है, इन दोनो ने उच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार किया था। यह कि तीन अपीलार्थीगण बचे थे, जो मामले को आगे इस न्यायालय में लाये थे।

5. पप्पू तिवारी ने अभ्यर्पण करने से छूट की मांग करते हुए आवेदन के साथ विशेष अनुमति याचिका (संक्षेप में वि0 अनु0 या0) दाखिल किया था। इस आवेदन को पप्पू तिवारी को अभ्यर्पण करने के लिए चार सप्ताह का समय मंजूर करते हुए 09.11.2012 को इस न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था। अनुरोध किये जाने पर, 18.02.2013 को पप्पू तिवारी को अभ्यर्पण करने के लिए चार सप्ताह के आगे का विस्तार मंजूर किया गया था ऐसा करने मे असफल रहने पर वि0अनु0या0 न्यायालय को संदर्भ के बिना खारिज किया जायेगा। पप्पू तिवारी ने अभ्यर्पण नही किया था तथा इस प्रकार, वि0अनु0या0 को आदेश दिनांक 18.02.2013 के निबंधनों के अनुसार खारिज किया गया था।

6. लव उर्फ उपेन्द्र तिवारी तथा अजय पाल ने विलम्ब के माफी हेतु आवेदन के साथ संयुक्त रूप से विशेष अनुमति याचिका अधिमानित किया था। अपीले इस न्यायालय के समक्ष 19.11.2013 को विचारार्थ उठी थी जब अजयपाल (याची सं0 2) के रूप में अपील को लव तिवारी द्वारा दाखिल अपील के रूप में नोटिस जारी करते हुए खारिज किया गया था। 07.05.2014 को उक्त अपील के रूप मे अनुमति मंजूर किया गया था जिसे दाण्डिक अपील सं0 1202-1203/2014 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

7. पप्पू तिवारी को अंततः 25.06.2015 को गिरफ्तार किया गया था। तत्पश्चात् इसने अपने वि0अनु0या0 के पुनः स्थापन तथा पुनः स्थापन आवेदन दाखिल करने में विलम्ब के माफी की माँग करते हुए आवेदन दाखिल किया था लेकिन नोटिस जारी करने के बाद, इसे 862 दिनो के विलम्ब को समुचित तरीके से स्पष्ट करने के विफलता के आधार पर 07.03.2017 को खारिज किया गया था। पप्पू तिवारी ने 22.01.2021 को जमानत की माँग करते हुए आवेदन के साथ पुनर्विलोकन याचिका दाखिल किया था। पुनार्विलोकन याचिका पर विचार किया गया था तथा 27.01.2021 को अनुज्ञात किया गया था। तत्पश्चात् अपीलो को सूचीबद्ध किये जाने का निदेश दिया गया था।

8. इस बीच, लव तिवारी को अपना दण्डादेश भुगतने के बाद 28.09.2016 को छोड़ा गया था तथा इस प्रकार 01.09.2021 को यह पूँछा गया था कि क्या वह अभी भी अपील को अग्रसर करने में रूचि रखता है जिसका उत्तर सकारात्मक मे था क्योंकि लव तिवारी अपने दोषसिद्धि के पहलू पर बहस करना चाहता था।

9. जहाँ तक पप्पू तिवारी का संबंध है, इसके जमानत आवेदन को 04.10.2021 को खारिज किया गया था लेकिन स्वयं अपील को सुनवाई हेतु लिये जाने के निदेश के साथ। 23.11.2021 को उक्त वि0अनु0या0 में अनुमति भी मंजूर किया गया था।

10. पूर्वोक्त पृष्ठभूमि है जिस पर इन दोनो अपीलो को हमारे समक्ष सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया गया था।

दा0अ0सं0 1202-1203/2014 (लव उर्फ उपेन्द्र तिवारी द्वारा अपील)

11. जहाँ तक लव तिवारी का संबंध है, विद्वान अधिवक्ता के समक्ष प्रश्न रखा गया था कि इसके (लव तिवारी) तथा अजय पाल द्वारा संयुक्त रूप से अधिमानित अपील पर तथा अजयपाल के अपील के खारिज किये जाने के बाद, साक्ष्य एक होने, भूमिका के एक होने अर्थात्

पाँच लोगों ने सामूहिक रूप से गोली मारने के बाद मृतक पर चाकू से क्षतियाँ पहुचाई थी, प्रतिरक्षा क्या हो सकता है, जो लव तिवारी को प्राप्त होगा।

12. विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहां कि इसकी अपील सीमित कार्य क्षेत्र मे है तथा इस न्यायालय ने इसके अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् पर अपील को स्वीकार किया था।

13. विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के निर्णय के संबंध में हमारा ध्यान आकृष्ट किया था क्योकि इनके अनुसार विशेष पहलू पर अपीलीय न्यायालय के निर्णय मे असंभाव्य कोई विवेचना थी। विचारण न्यायालय ने दो प्रतिरक्षा साक्षीगण, राजेन्द्र यादव (प्रति0सा01) तथा समसुद्दीन अंसारी (प्रति0सा02) के अभिसाक्ष्यो को निर्दिष्ट किया था। प्रति0सा01 ने अपने मुख्य परीक्षा में अभिसाक्ष्य दिया था कि 24.01.2000 को इसने लव उर्फ उपेन्द्र तिवारी के दाये घुटने का एक्स-रे किया था। इसने कैश मेमो (प्रदर्श क) को साबित किया था तथा कहा था कि इसने डा0 एम0 पी0 सिंह के परामर्श पर घुटने का एक्स-रे किया था। प्रति0सा02 ने कहा था कि वह लव उर्फ उपेन्द्र तिवारी को जानता था तथा 24.01.2000 को वह वस द्वारा सिलियाडोंगर से गढ़वा आया था। इसने लव तिवारी को मोटर साइकिल से गिरने के बाद देखा था जोदर्द से लड़खड़ा रहा था। इसने एक दूसरे व्यक्ति को इसे पकड़े देखा था। रिक्शा बुलाया गया था तथा लव तिवारी को रिक्शा पर बैठाया गया था तथा डा0 एम0 पी0 सिंह के पास गढ़वा हास्पिटल लाया गया था, जिसने एक्स-रे का परामर्श दिया था। एक्स-रे जनता क्लीनिक में किया गया था तथा डाक्टर ने विचार व्यक्त किया था कि इसका पैर घुटने के पास टूट गया था। व्यक्ति जिसने कथित तौर पर लव तिवारी की सहायता किया था की पहचान कंचन यादव के रूप में की गई थी। लव तिवारी को इसे सौपने के बाद प्रति0सा0 2 चला गया था।

14. दो साक्षीगण को भी प्रतिरक्षा - अलमुद्दीन खाॅन (सं0सा0-1) के अनुरोध पर न्यायालय साक्षीगण के रूप मे परीक्षित किया गया था, जिसने डा0 एम0 पी0 सिंह के प्रमाण पत्र (प्रदर्श क) तथा दवा के रशीद (प्रदर्श क/1) तथा अक्षय कुमार महतो (सं0सा0-2) को साबित किया था जिसने कहा था कि वह लव तिवारी को जानता था कि लव तिवारी खरीददारी के लिए गढ़वा आया था तथा हास्पिटल मे अपने चचेरे भाई के बीमार पुत्र मोहन प्रसाद महतो को देखने गया था। इसने इलाज का साक्षी होने का दावा किया था तथा यह कि लव उर्फ उपेन्द्र तिवारी अपने प्लास्टर किये गये पैर के साथ विस्तार पर था यद्यपि इसने इससे बातचीत नही किया था। उक्त परिसाक्ष्य के दृष्टिगत, तर्क जो विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जैसा लेखबद्ध कियो गया था तथा हमारे समक्ष भी यह था कि चूँकि घटना के तिथि को इसका पैरा टूट गया था, लव तिवारी के लिए अपराध में भाग लेना संभव नही था तथा इसे मामले में झूठे-झूठे आलिप्त किया गया था। विचारण न्यायालय ने उल्लेख किया था कि न तो एक्स-रे प्लेट न ही डा0 एम0 पी0 सिंह के परामर्श को न्यायालय मे पेश किया गया था। डाक्टर को भी प्रतिरक्षा द्वारा पेश नही किया गया था। हास्पिटल में इसके टूटे पैर के इलाज या भर्ती के मामले के समर्थन में गढ़वा हास्पिटल मे भर्ती या इलाज के बारे में कोई पत्रावली पेश नही किया गया है तथा प्रमाण पत्र इस प्रकार के मामले का समर्थन नही किया था।

15. दूसरी तरफ अभियोजन का मामला यह था तथा है कि अन्य बातो के साथ फर्दबयान के अनुसार औपचारिक प्र0सू0रि0 भा0द0सं0 की धारा 369, 365 तथा 120ख के अधीन पुलिस थाना मामला सं0 6/2000 मे पंजीकृत किया गया था। घटना की तिथि 26.01.2000 थी तथा इस मामले में अभिकथन हत्या के प्रयोजन हेतु व्यपहरण के बारे मे था। इस मामले मे भी लव तिवारी अभियुक्त के रूप में नामित था। घटना 26.01.2000 की थी तथा प्रतिरक्षा यह है कि लव तिवारी का पैर 24.01.2000 को टूटा था। लव तिवारी को निर्णय दिनांक 28.02.2000 द्वारा भा0 द0 सं0 की धारा 365 के अधीन दोष सिद्ध किया गया था। फिर भी हम उल्लेख

कर सकते है कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार इस दोषसिद्धि के विरूद्व दाखिल अपील में लव तिवारी को 17.12.2005 को दोष मुक्त किया गया था।

16. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण, पंकज कुमार सिंह (अ0सा06), सुवोध कुमार सिंह (अ0सा013) तथा चन्द्रभान सिंह (अ0सा018) है तथा इनका परिसाक्ष्य मोटे तौर पर संगत रहा है, जो लव तिवारी की भूमिका नियत करता है। 07.03.2000 को इसे गिरफ्तार करने का प्रयास सफल नही था क्योकि इसे छः भिन्न-भिन्न अवसरो पर अन्वेषण अधिकारी द्वारा फरार पाया गया था जब इसके परिसर में जाया गया था। इसके केवल तत्पश्चात् गिरफ्तार किया गया था तथा 04.04.2000 को रिमाण्ड पर लिया गया था। राज्य के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि न तो डा0 एम0 पी0 सिंह के परामर्श न ही एक्स-रे को पेश किया गया है तथा डा0 एम0 पी0 सिंह को प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में पेश या समन नही किया गया है, हास्पिटल में लव तिवारी के भरती तथा इलाज को प्रमाणित करने वाले पत्रावली का टुकड़ा नही है जिसे अन्यत्र उपस्थित होने के इसके अभिवाक् के समर्थन मे पेश किया जा सके। इन्होंने फर्द बयान के संबंध मे हमारा ध्यान भी आकृष्ट किया जिससे यह संकेत मिले कि लव तिवारी तथा अन्य अभियुक्तगण न मामले के संबंध में मेरल जाने के लिए मृतक के मोटर साइकिल की माँग किया था, जिसे अस्वीकार किया गया था। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि अभिरक्षा के दौरान भी लव तिवारी का आचरण उचित नही था क्योकि इसने इत्तिला देने वाले को धमकी दिया था तथा इत्तिला देने वाले को 13.06.2001 को आग्नेयास्त्र क्षति पहुँची थी। परिणामस्वरूप, मामला सं0 107/2001 को गढ़वा पुलिस थाना में पंजीकृत किया गया था। अंत में यह तर्क दिया गया था कि अपीलार्थी के कार्य को अजय पाल के कार्य से अलग करने के लिए कोई प्रयास नही किया गया था तथा अजय पाल की अपील खारिज होने पर, एक मात्र पहलू जिसकी जाँच की जानी थी कि क्या अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् को नामंजूर करने वाले दोनो अवर न्यायालयों के एक ही निष्कर्षो मे इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है जब अपीलार्थी पर भार अधिक है क्योंकि जब इस प्रकार का अभिवाक् उठाया जाता है अभियुक्त को इस भार का निर्वहन करना चाहिए। हम इस निमित्त विजयपाल बनाम राज्य (दिल्ली सरकार रा0रा0क्षे0) (2015) 4 एससीसी 749 में न्यायिक विचार को निर्दिष्ट कर सकते है जिसमे इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

> "27. हमारे सुविचारित राय मे, जब विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने अन्यत्र उपस्थित होेने के अभिवाक् पर अविश्वास किया है जो तथ्य का एक ही निष्कर्ष है, इस निकालने का उचित आधार नही है। साक्ष्य जिसे अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् को साबित करने के लिए अभियुक्त द्वारा पेश किया गया है अपूर्ण है तथा वास्तव मे तर्क संगत नही है। यह ऐसा मामला नही है जहाँ अभियुक्त ने पूर्ण निश्चितता के साथ साबित किया है जिससे घटना स्थल पर इसके उपस्थिति के संभावना को अपवर्जित किया जा सके। अभियुक्त द्वारा पेश साक्ष्य इस प्रकार की गुणवत्ता का नही है कि न्यायालय युक्तियुक्त संदेह पर विचार करेगा। उलटे अभियुक्त पर भार भारी है तथा इसके द्वारा असंशय के साथ अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् को साबित करना आवश्यक है।
>
> जितेन्द्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2012) 6 एससीसी 204 मे इस न्यायालय न कहाँ था कि:
>
> "71. अन्यत्र उपस्थित हेाने के अभिवाक् को खारिज करने का भार अपीलार्थीगण पर है तथा अपीलार्थीगण इस प्रकार के किसी साक्ष्य को अभिलेख पर लाने में असफल है जो,

युक्तियुक्त संभाव्यता द्वारा भी अपने अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् को साबित करेगा। वास्तव में अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् को निश्चितता के साथ साबित किया जाना आवश्यक है जिससे घटना स्थल पर तथा घर में अभियुक्त के उपस्थिति के संभावना को पूर्णतया अपवर्जित किया जा सके जो इनके नातेदारों का घर था।

17. हमने लव तिवारी के अपील के सीमित विस्तार पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है तथा मै जो भी हो इसमे कोई गुणावगुण नही पाता हूँ। राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी ठीक ही बताया गया है कि अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् को साबित करने का भार लव तिवारी पर था (विजय पाल (ऊपर) तथा जितेन्द्र कुमार (ऊपर) जिसका निर्वहन करने में वह असफल था। यह ऐसा मामला नही है जहाँ इसे अवसर नही दिया गया था। वास्तव में, दो साक्षीगण को लव तिवारी द्वारा प्रतिरक्षा मे पेश किया गया था तथा दोनो न्यायालय द्वारा साक्षीगण को भी समन किया गया था। फिर भी, सुसंगत साक्ष्य को पेश नही किया गया था।

18. यह ठीक ही बताया गया है कि सबसे अधिक तात्विक साक्षी डा0 एम0 पी0 सिंह रहे होते जिसे प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में पेश नही किया गया था न ही समन किया गया था।

19. हम उल्लेख कर सकते है कि विचारण न्यायालय के निर्णय में कुछ अनन्यता भ्रान्ति है क्योंकि डा0 एम0 पी0 सिंह (अ0सा01) के संबंध में संदर्भ किया गया है, जो उपर्युक्त डाक्टर नही है। डा0 एम0 पी0 सिंह द्वारा कथित तौर पर दिया गया परामर्श भी साबित नही किया गया है न ही एक्स-रे प्लेट पेश किया गया है। प्रति0सा02 ने कहा था कि वह लव तिवारी को गढ़वा हास्पिटल ले गया था लेकिन हास्पिटल मे भरती या इलाज के बारे में कोई कागजात हास्पिटल मे टूटे पैर के इलाज के समर्थन मे पेश नही किया गया था। इस प्रकार इन सभी पहलुओ पर लव तिवारी अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् को साबित करने के भार का निर्वहन करने मे असफल था तथा इस प्रकार विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् को नामंजूर करने मे किसी त्रुटि को किया नही कहा जा सकता है। यह एक मात्र पहलू है जिसका हमारे द्वारा जांच किया जाना आवश्यक है।

20. हम उल्लेख कर सकते है कि लव तिवारी के विरूद्व पंजीकृत एक दूसरे मामले तथा उक्त मामले मे इसके दोषसिद्धि के पहलू पर विचारण न्यायालय के निर्णय में विवेचना है। घटना इसके अभिकथित अस्थिभंग के समसामयिक था तथा एक प्रकार, अस्थिभंग पर आधारित अभिवाक् को असंधार्य होना पाया गया था। क्योकि लव तिवारी को उक्त मामले में दोषसिद्ध किया गया था फिर भी इसने अपील में दोषमुक्ति का आदेश दाखिल किया है। यही कारण है कि हमने इस पहलू को खोज नही निकाला है लेकिन हमारे पूर्वोक्त निष्कर्ष के दृष्टिगत यह पहलू निर्णायक नही रहता है।

21. पूर्वाक्त का परिणाम यह है कि हम लव उर्फ उपेन्द्र तिवारी के दाण्डिक अपील में कोई गुणावगुण नही पाते है।

दा0 अ0 सं0 1492/2021 (पप्पू तिवारी द्वारा अपील)

22. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विविध अभिवाको को उठाने की माँग किया था कि अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना पड़ता है। यह ऐसा कुछ नही है जिसे वास्तव मे बताया जाना आवश्यक है तथा दाण्डिक विधि शास्त्र का मूलभूत सिद्धान्त है। यह कहना पर्याप्त है कि विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देते हुए इस सिद्धान्त को जोड़ने की मांग किया था कि यदि युक्तियुक्त संदेह को अभियोजन के कहानी मे सृजित किया जा सकता है, अपीलार्थी को सफल होना चाहिए।

23. पूर्वोक्त के संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के परिसाक्ष्यों को निदिष्ट करने की माँग किया था। पंकज कुमार सिंह, इत्तिला देने वाला मृतक का भाई है जिसे अ0सा06 के रूप में परीक्षित किया गया था। फर्दबयान में इसने किसी साक्षी का नाम नही लिया था यद्यपि इसने इन्हे ''कई साक्षीगण'' के रूप में निर्दिष्ट किया था। यह कहा गया था कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के परिसाक्ष्यों में विरोधाभास था। इन्होंने आगे निवेदन किया है कि अ0सा0 13 संयोगी साक्षी था तथा यह कि घटना स्थल पर इसकी उपस्थिति संदिग्ध थी क्योंकि वह मैट्रिक की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए घटना के मात्र दस दिन पहले क्षेत्र में आया था तथा किसी व्यक्ति को नही जान सकता था।

24. फिर भी, हम उल्लेख कर सकते है कि साक्ष्य के परिशीलन के बाद यह नही कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के परिसाक्ष्य में कोई बड़ा फर्क है जिससे अभियोजन के कहानी पर संदेह किया जा सके। तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण है। इत्तिला देेने वाले अ0सा0 6 के परिसाक्ष्य का त्याग मात्र इसलिए नही किया जा सकता है क्योकि यह निकट संबंधी का परिसाक्ष्य है। इसी प्रकार, अ0सा0 13 हालाँकि एक संयोगी साक्षी ने अपने उपस्थिति को स्पष्ट किया था तथा कहा था कि वह अभियुक्तगण की पहचान कर सकता है, जो क्षेत्र मे विख्यात थे, यद्यपि नकारात्मक अर्थ मे। फिर भी, हम उल्लेख कर सकते है, जहाँ तक तीसरे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, अ0सा0 18 का संबंध है, उच्च न्यायालय ने इस साक्षी के परीक्षा में दो माह से अधिक के विलम्ब के कारण इसके परिसाक्ष्य पर भरोसा नही किया हे जिसने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा किया था तथा मृतक का मामा था।

25. विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तरीके से तर्क दिया कि प्र0सू0रि0 समय पूर्व था तथा यह कि यह स्वयं कहानी पर संदेह डालता है। प्र0सू0रि0 को अपराह्न के आरम्भ में 07.03.2000 को लेखबद्ध किया गया था लेकिन न्यायालय अगले तिथि को 08.03.2000 को पहुँचा था जब न्यायालय तथा पुलिस थाना के बीच दूरी मुश्किल से एक किलोमीटर थी।

26. दूसरी तरफ, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि घटना 07.03.2000 को 1300 बजे घटित हुई थी, 13:43 बजे हास्पिटल से टेलीफोन काल से रिपोर्ट किया गया था कि क्षत्रिग्रस्त हास्पिटल आ गये है तथा फर्दबयान को लेखबद्ध करने का समय 14:00 बजे हैं। मृत्यु परीक्षा रिपोर्ट को 14:10 बजे तैयार किया गया था तथा प्र0सू0रि0 1425 बजे पंजीकृत किया गया था। शव को मृत्योपरान्त परीक्षण हेतु 1445 बजे प्राप्त किया गया था तथा साथ-साथ अन्वेषण अधिकारी घटना स्थल पर पहुँचा था। मृत्योपरान्त परीक्षण 1550 बजे आरम्भ हुआ था। अन्वेषण अधिकारी मध्यरात्रि मे घर वापस आया था तथा कई बार अभियुक्त के घर गया था। इस प्रकार प्र0सू0रि0 न्यायालय मे 08.03.2000 को पहुँचा था। समय तथा तिथियों का यह अनुक्रम जिसे बताया गया है से प्रदर्शित होता है कि प्र0सू0रि0 के पूर्व दिनांकित होने की कोई गुजाइंश नही हो सकती है।

27. हम इस पहलू की जाँच सुदर्शन तथा एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) 12 एससीसी 312 मे अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रोद्रधृत निर्णय के संदर्भ मे कर सकते है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताये गये सुसंगत पैरा से प्रदर्शित होता है कि उक्त मामले मे प्र0सू0रि0 का कालम 15 न्यायालय को भेजने की तिथि तथा समय से संबंधित है जिसे खाली छोड़ा गया था। अन्वेषण अधिकारी यह साबित नही कर सका कि कब तथा कैसे प्र0सू0रि0 न्यायालय को भेजा गया था। ऐसा करने के आवश्यकता पर बल निर्णय में दिया गया था क्योकि प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि प्र0सू0रि0 में सत्य कथन लेखबद्ध किया जाय तथा इसमे छलसाधन या क्षेपक न हो। यही कारण है कि इस कानूनी शर्त को दण्ड

प्रक्रिया संहिता 1973 (एतस्मिन् पश्चात द0 प्र0 सं0 के रूप मे निर्दिष्ट) की धारा 157 के अधीन उपबंधित है। प्र0सू0रि0 के रूप में गम्भीर आशंका है।

28. पूर्वोक्त अधिकथित सिद्धांतो के कसौटी पर यह असंभाव्य रूप से कहा जा सकता है कि धारा 157 द0 प्र0 सं0 के अधीन विधि के आदेश को पूरा नही किया गया है। घटना के सूचना के बाद, फर्दबयान शीघ्रता से लेखबद्ध किया गया था, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया गया था तथा इसके 25 मिनट के अन्दर प्र0सू0रि0 पंजीकृत किया गया था। शव को तत्काल मृत्योपरान्त परीक्षण हेतु भेजा गया था तथा प्र0सू0रि0 अगले सुबह न्यायालय को भेजा गया था। हम यह नही कह सकते है कि कोई बचाव का रास्ता है जिसका उपयोग किया जा सकता था या कि प्र0सू0 रि0 समय पूर्व था तथा इस प्रकार मजिस्ट्रेट को प्र0 सू0 रि0 भेजने हेतु शर्त के उददेश्य का अनुपालन किया गया है। इस प्रकार इस अभिवाक् में कोई गुणावगुण नही है।

29. अब अगले अभिवाक् पर वापस आते हेै जिस पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा काफी बल दिया गया है, यह तर्क दिया गया है कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 3) तथा मृत्योपरान्त परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 1) के बीच बड़ा फर्क है। इस पहलू की वास्तव मे मांग समय पूर्व होने के नाते प्र0सू0रि0 के अभिवाक् को जोड़ने के लिए की गई थी। बयान मे अंतरो का होना बताया गया है जिससे संकेत मिलता है कि फर्द बयान केवल मृत्योपरान्त परीक्षण रिपोर्ट के बाद दर्ज कराया गया था। इसके लिए तथ्यात्मक आधार यह बताया गया है कि मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट मे छः क्षतियो का उल्लेख है तथा बंदूक के गोली के क्षति का उल्लेख नही है जबकि मृत्योपरान्त परीक्षण रिपोर्ट से प्रदर्शित होता है कि बंदूक के गोली की क्षति सहित 26 क्षतियाँ है। इससे पिस्तौल बरामद नही किया गया था न ही कोई कारतूस पाया गया था तथा ए0एस0आई0 रजनी कान्त झा जिसने फर्दबयान तथा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट दोनो को लेखबद्ध किया था, को अभियोजन द्वारा परीक्षित नही किया गया था। इस पहलू पर विद्वान अधिवक्ता ने मौला बक्श तथा अन्य बनाम राजस्थान राज्य (1983) 1 एससीसी 379 में संप्रेक्षणों पर भरोसा किया है।

30. दूसरी तरफ राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट को मौलिक साक्ष्य के रूप में नही माना जा सकता है बल्कि मृत्यु समीक्षा के साक्षी का खण्डन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है (सुरेश राय बनाम बिहार राज्य (2000) 4 एससीसी 84)। इन्होने निवेदन किया है कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट वास्तव में स्वयं साक्ष्य नही है तथा न्यायालय में चिकित्सा साक्षी के साक्ष्य के विरूद्व मुकाबले में खड़ा नही किया जा सकता है (सुरजन तथा अन्य बनाम राजस्थान राज्य एआईआर 1956 एससी 425) विद्वान अधिवक्ता ने यह विचार व्यक्त करते हुए पेड्डा नारायण तथा अन्य बनाम आन्ध प्रदेश राज्य (1975) 4 एससीसी 153 के संप्रेक्षणों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि धारा 174 द0 प्र0 सं0 के अधीन कार्यवाहियों का उद्देश्य मात्र यह पता लगाना है कि क्या व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों मे या अप्राकृतिक मृत्यु से मरा हेै तथा यदि ऐसा तो मृत्यु का स्पष्ट कारण क्या है। फिर भी विवरण कि कैसे मृतक पर हमला किया गया था या किसनेे इस पर हमला किया था द0 प्र0 सं0 की धारा 174 के अधीन कार्यवाहियो के व्याप्ति के असंगत होगा, न ही इस प्रकार के विवरणों का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया जाना आवश्यक है (योगेश सिंह बनाम महावीर सिंह तथा अन्य (2017) 11एससीसी 195)

31. विद्वान अधिवक्ता आगे यह विचार करते हुए तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ (2018) 6 एससीसी 72 मे इस न्यायालय के हालिया निर्णय पर अधिक निर्भर है कि मृत्यु समीक्षा करने का उद्देश्य सीमित हैं तथा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट मौलिक साक्ष्य गठित नही करता है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की तुलना में, डाक्टर जो मृत्योपरान्त परीक्षण करता है, चिकित्सा

विधिक परिप्रेक्ष्य से शरीर की जाँच करता है। इस प्रकार यह मृत्योपरान्त परीक्षण रिपोर्ट ही है जिससे वैज्ञानिक परीक्षण द्वारा क्षतियों का विवरण रखने की अपेक्षा की जाती है। इस संदर्भ में इन्होने निवेदन किया कि मौला बक्श तथा अन्य (ऊपर) मामला अपीलार्थी की सहायता नही किया था क्योकि पुलिस अधिकारी जिसने मृत्यु समीक्षा पंचनामा तैयार किया था चिकित्सा विधि शास्त्र मे विशेषज्ञ नही है।

32. पूर्वोक्त अभिवाको के जाँच के बाद, जहाँ तक तथ्यात्मक संदर्भ का संबंध है, थोड़ा संदेह है कि मृत्यु परीक्षा रिपोर्ट तथा मृत्योपरान्त परीक्षण रिपोर्ट में मृतक को पहुँचे क्षतियों की सख्या लेखबद्ध करने में थोड़ा नही बल्कि बड़ा अंतर हैं। फिर भी यह हमारे विचार में घातक नही होगा। हम ऐसा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए कहते है, जो मौलिक साक्ष्य नही है। उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि क्या व्यक्ति जो संदिग्ध परिस्थितियो मे मरा है, इसकी मृत्यु का स्पष्ट कारण क्या हो सकता है। वर्तमान मामले मे, मृत्यु अप्राकृतिक थी। घाव थे। इस बात मे संदेह नही है कि यह मानवघाती मामला है। विशेषज्ञ डाक्टर है जिसने मृत्योपरान्त परीक्षण पूरा किया है तथा चिकित्सा विधिक विशेषज्ञ रहा है। पहचाने गये भीतर मे तथा बाहर में घावो के साथ दो आग्नेयास्त्र क्षतियो की स्पष्ट रूप से पहचान की गई है हमने पहले ही सूचना तथा उस प्रक्रम से जब मृत्योपरान्त परीक्षण आरम्भ हुआ था इसके साथ पुलिस कार्यवाही के बीच समयावधि के सामीप्य की विवेचना किया है। हम इस अभिवाक् में कोई सार नही पाते है।

33. अपीलाथी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बल दिया गया तीसरा पहलू चिकित्सा साक्ष्य तथा चाक्षुष साक्ष्य के बीच अभिकथित फर्क है। अ0सा01 मृतक का मृत्योपरान्त परीक्षण पूरा करने के बाद 26 क्षतियाँ पाया था। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि दूरी के बारे में पूछने पर जिससे आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया गया था, इसने कोई राय व्यक्त नही किया था। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया है कि अभियोजन का मामला यह है कि पप्पू तिवारी द्वारा आग्नेयास्त्र क्षति के बाद मृतक गिर पड़ा था तथा अन्य अभियुक्तगण ने इस पर चाकुओ से हमला किया था। मृतक के नितम्ब पर कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नही है। अभियोजन के कहानी के अनुसार, साक्षी लगभग 1.00 बजे अपराहन जिम की ओर जा रहा था लेकिन मृत्योपरान्त परीक्षण रिपोर्ट से प्रकट होता है कि पेट खाली था तथा मलाशय एवं मूत्राशय भरा था जिससे प्रदर्शित होता है कि व्यक्ति ने स्वयं को हल्का नही किया था तथा अपना नाश्ता भी नही लिया था। यह स्थिति प्रातःकाल होनी चाहिए न कि दिन में।

34. दूसरी तरफ, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का चिकित्साधिकारी अ0सा0 1 के परिसाक्ष्य को निदिष्ट किया था। इस प्रकार के विवाद्यक पर जैसे कौन सा आग्नेयास्त्र प्रयोग किया गया था, क्या क्षतियाँ गोली या छर्रा द्वारा कारित की गई थी तथा दूरी जिससे आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया गया था, यह निवेदन किया गया है कि जहाँ हथियार तथा बारूद, अनिश्चित निर्माण तथा गुणवत्ता का होता है, मानक हथियार तथा बारूद, पर आधारित सामान्य छर्रा पैटर्न का प्रयोग सटीक तरीके से नही किया जा सकता है (प्रहलाद सिंह तथा अन्य बनाम म0 प्र0 राज्य (2011) 15एससीसी 136-9)

35. इस अभिवाक् के बारे में विचार करने के बाद हम पाते है कि वास्तव में चिकित्सा तथा चाक्षुष साक्ष्य के बीच कोई फर्क नही है लेकिन डाक्टर द्वारा दूरी के बारे में विचार न करने पर जिससे आग्नेयास्त्र क्षतिकारित की गई थी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अलग किये जाने की काफी अधिक माँग की गई है। आगे, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण, स्पष्ट है कि अन्य अभियुक्तगण ने मृतक पर चाकुओ से हमला किया था। मृतक पर हमला करने वाले पाँचो व्यक्तियो के इस प्रकार की प्रक्रिया को यह नही कहा जा सकता है कि मृतक उसी स्थिति मे

पड़ा होगा तथा इस प्रकार पीछे तथा सामने पर क्षतियो कीे पूरी संम्भावना है। घटना के प्रकृति तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के परिसाक्ष्य में, संदेह कहानी पर डाला जाना चाहिए न कि मात्र भोजन करने के कुछ पहलू को बताया जाना चाहिए। हम वास्तव में इस प्रकार की कोई त्रुटि नही देख सकते है जो हमे अवर न्यायालयो के एक ही निष्कर्षो को उलटा करवायेगा।

36. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का बाकी तर्क दोषपूर्ण अन्वेषण, स्वतंत्र साक्षीगण के अभाव के अभिवाक् पर आधारित है लेकिन तब कोई कारण नही है कि क्यो प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण की कहानी जो विश्वसनीय है, पर पूरा विश्वास यही किया जाना चाहिए। कसौटी जिसका प्रयोग मामले का युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने के बारे मे होता है का मतलब यह नही है कि प्रयास ठीक अंदाजा लगाने के संबंध में होना चाहिए तथा किसी तरह दोषमुक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ माफी प्राप्त करना होना चाहिए।

37. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आग्रह किया गया अंतिम पहलू यह है कि अन्वेषण अधिकारी ने अपीलार्थी तथा अन्य अभियुक्तगण के पूर्ववृत्तों को निर्दिष्ट किया है, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 53 के कानूनी प्रावधानों के प्रतिकूल उच्च न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से ध्यान मे रखा गया है। उक्त प्रावधान अनुबद्ध करता है कि पूर्व बुरा चरित्र सुसंगत नही होता है सिवाय जवाब में, अर्थात्, जब तक साक्ष्य अच्छे चरित्र का नही दिया गया है जिस मामले में यह सुसंगत हो जाता है। फिर भी, वर्तमान मामलेे मे जो घटित हुआ है अन्वेषण अधिकारी के परिसाक्ष्य का वह भाग है कि अभियुक्तगण खतरनाक थे प्रस्तुत किसी साक्ष्य द्वारा समर्थन नही किया गया है न ही इसने अवर न्यायालयों को प्रभावित किया है। अ0सं0 13 अपीलार्थीगण की पहचान करने में सक्षम था क्योकि ये लोग सड़क से होकर गुजरा करते थे तथा ''क्षेत्र के मालिक'' के रूप में मशहूर होना बताया गया है। इस प्रकार हमारी राय हे कि सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद अपीलार्थी का विद्वान अधिवक्ता विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय पर कोई संदेह डालने में सक्षम नही रहा है।

निष्कर्ष -

38. पूर्वोक्त विवेचना के सिंहावलोकन में, मेरी राय है कि अभियोजन द्वारा पेश कहानी को साबित किया गया है तथा अपीलार्थी अभियुक्त द्वारा प्रतिकूल प्रभाव नही डाला गया हेै जिससे संदेह डाला जा सके तथा इन्हे संदेह के लाभ का हकदार बनाया जा सके। परिणाम यह है कि पक्षकारों पर अपने स्वयं के खर्चो को वहन करना छोड़ते हुए दोनो अपीलो को खारिज किया जाता है।

<u>यह अनुवाद शिवाकान्त तिवारी, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।</u>